Livestock Research Station, Kodemdesar
Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner

Dr. Virendra Kumar
Officer Incharge

E-mail : lrskodemdesar@gmail.com
☎9784834172

No F()LRS/Kodemsar/2024-2025/209 Dated :- 01.01.2025

खुली बोली सूचना– 01/2024–25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.01.2025 को पशुधन अनुसंधान केन्द्र, कोडमदेसर, बीकानेर में कृषि भूमि को 04 वर्ष के लिए संविदा काश्त पर देने हेतु खुली बोली लगाकर बोली आमंत्रित की जानी है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म निर्धारित तिथि को प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक उपस्थित होकर, पंजीयन शुल्क रू 5000 नगद जमा करवाकर बोली में सम्मिलित हो सकेगे। बोली की जाने वाली कृषि भूमि मय संसाधन का अवलोकन कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर किया जा सकता है। निविदा संबंधी सूचना एवं शर्ते sppp portal व www.rajuvas.org पर भी देखी जा सकती है।

Virend

प्रभारी अधिकारी

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, कोड़मदेसर में कोन्ट्रेक्ट फार्मिंग हेतु कार्य का विवरण एवं शर्ते

1 उक्त बोली पशुधन अनुसंधान केन्द्र कोडमदेसर की जमीन पर संविदा खेती के लिये जहाँ है जैसी है, जितनी है, की तर्ज पर कार्यादेश की दिनांक से 04 वर्ष तक के लिये जारी की जा रही है इसकी अवधि 31.12.2028 को पूर्ण हो जायेगी। इस अवधि के दौरान संवेदक के द्वारा कितनी फसलें ली जाती है, यह पूर्ण रुप से संवेदक पर ही निर्भर है। अवधि समाप्ति पर भूमि सहित समस्त संसाधनों को सौपिगईस्थिति में विश्वविद्यालय को सौंपना होगा।

2 बोली में निजी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म भाग ले सकते हैं।

3 जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को एक वर्ष माना जायेगा। इस प्रकार आगामी वर्ष की राशि गत 15 दिसम्बर तक अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी। यथा वर्ष 2026 के लिये राशि जमा कराने की तिथि 15 दिसंबर 2025 तक होगी।

4 बोली में भाग लेने के लिए 5000 रू की राशि बोली दिवस को नगद जमा करवाकर प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। बोली 11:00 बजे से शुरू की जायेगी। इस हेतु आवश्यक पहचान दस्तावेज बोलीदाता को साथ में लाना होगा। सफल बोलीदाता को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, चैक, पासबुक प्रति, विविध शपथ पत्र, निविदा संबंधी प्रपत्र व अन्य वांछित दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी/प्रस्तुत करने होंगें।

5 सफल बोलीदाता को प्रथम वर्ष बोली की 25 प्रतिशत राशि बोली छूटने के उपरान्त 24 घंटे में जमा करवानी होगी तथा 75 प्रतिशत राशि अनुबंध पत्र के साथ 07 दिवस में NEFT/ RTGS के माध्यम से जमा करवानी होगी तथा आगामी वर्षो में 05 प्रतिशत की कम्मोन्नत (स्टेजेज) बढोतरी के साथ प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए एक मुश्त राशि जमा करवानी होगी। उदहारण स्वरूप प्रथम वर्ष की बोली रु1,0000000 है तो द्वितीय वर्ष में 05 प्रतिशत की बढोतरी के साथ बोली राशि रु1,0,500000 बनेगी और इस प्रकार तृतीय वर्ष के लिए 05 प्रतिशत की कमोन्नत (स्टेजेज) बढोतरी के साथ राशि रु1,10,25,000 बनेगी।

6 इसके अलावा सफल बोलीदाता को रू 15.00 लाख (10.00 लाख कृषि कार्य की धरोहर राशि तथा 5.00 लाख बिजली बिल की धरोहर राशि) बोली छूटने के 07 दिन में जमा करवानी होगी जो कि प्रथम वर्ष की किस्त राशि के अतिरिक्त होगी। इस राशि को संविदा अवधि समाप्ति पर सभी प्रकार के अबकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के लौटाया जावेगा। यह राशि बिजली के बिलों की अग्रिम राशि के रुप में नही मानी जावेगी। उक्त राशि को किसी भी बिजली बिल में भुगतान के लिए समायोजित नही किया जावेगा।

7 निविदा की न्यूनतम बोली राशि रू 1.25 करोड (एक करोड़ पच्चीस लाख) प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित की गई है अतः बोली इससे उपर शुरू की जायेगी।

8 असफल बोलीदाताओं की रजिस्ट्रेशन फीस सफल बोलीदाता से करार संपादन उपरांत लौटाई जायेगी।

9 बोलीदाता मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल–चलन वाला व जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए तथा सदभावी व्यवहारी होना चाहिए। आवेदक को उपरोक्त घोषणा का शपथ पत्र 100/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर तैयार करवाकर साथ में लाना होगा।

10 इसके अलावा आवेदक को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी साथ में लाना होगा कि मेरे द्वारा उक्त समस्त भूमि, सिंचाई, बिजली व्यवस्था आदि का भली भांति मौका मुआयना कर लिया गया है एवं इसी अनुसार मेरे द्वारा दर कोट की जा रही है।

Vinod

11 कृषि कार्य के लिये ठेके पर दिये जाने वाले कृषि भूमि पर 1 करोड़ लीटर क्षमता की 04 डिग्गी बनी हुई है। फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन कार्यालय समय में उपस्थित होकर किया जा सकता है।

12 कृषि कार्य के लिये ठेके पर दिये जाने वाले कृषि भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1800 बीघा है जिसमें सिंचित और असिंचित भूमि दोनो शामिल है। फार्म की चारा भूमि/डिग्गी इसमें शामिल नहीं है।

13 निविदा/संविदा संबंधी समस्त प्रकार की कर देयता स्वयं संवेदक/ठेकेदार/बोलीदाता की होगी।

14 गैर अनुमत फसल की काश्त नहीं की जायेगी। संविदा काश्त की आड में किसी भी प्रकार की अनैतिक/गैर कानूनी गतिविधि निषेध होगी।

15 उक्त जमीन का अधिकांश भाग तारबंदी किया हुआ है तथापि जहाँ कहीं भी तारबंदी टूटी हुई है तो उसकी मरम्मत ठेकेदार अपनी आवश्यकता अनुसार अपने खर्चे पर करेगा। साथ ही ठेकेदार संपूर्ण ठेका अवधि में केन्द्र की तारबंदी की चौकसी भी अपने स्तर पर करेगा।

16 फार्म क्षेत्र में उगे पेड़ व अन्य सम्पति को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी, नुकसान होने पर बोलीदाता से नुकसान वसूला जायेगा।

17 बोलीदाता को सिंचाई हेतु पानी दिन/रात को नहर से पानी की सप्लाई पर आधारित होगा। सिंचाई के समय व अवधि का निर्धारण प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। बोलीदाता द्वारा नहर से पानी के अनुचित प्रयोग करने अथवा नहर से पानी की चोरी करने या उसे तोड़ने पर होने वाली कार्यवाही की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

18 केन्द्र की डिग्गीयों में पानी भरना, खालों की सफाई एवं रख–रखाव तथा प्रयोग में लिये जाने वाले यंत्र एवं उपकरणों के रख–रखाव की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। ऐसा न करने पर केन्द्र द्वारा क्षतिपूर्ति की लागत ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

19 सम्पूर्ण फार्म क्षेत्र की फसलों की सुरक्षा बोलीदाता को करनी होगी।

20 फार्म से किसी भी तरह की सामग्री को बाहर ले जाने व लाने की लिखित अनुमति प्रभारी अधिकारी से पूर्व में लेनी होगी व सामान केवल कार्यालय समय में ही लाया और ले जाया जा सकेगा।

21 कार्य के दौरान स्वयं और श्रमिक के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। किसी भी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। न्यूनतम श्रम, मजदूरी मानको एवं नियमो की कड़ाई से अनुपालना करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

22 बोलीदाता द्वारा फार्म पर रखे गये श्रमिकों की संबधित फार्म प्रभारी से पहचान सत्यापित करवानी होगी। बालश्रम निषेध होगा।

23 बोलीदाता द्वारा फार्म/कार्यालय की बिजली उपभोग का व्यय प्रतिमाह राज्य सरकार/जोधपुर डिस्कॉम द्वारा निर्धारित दर से स्वयं को वहन करना होगा तथा भुगतान नियत तिथि तक करना होगा तथा भुगतान की प्राप्ति रसीद कार्यालय में जमा करानी होगी। बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार की बिजली चोरी नहीं की जावेगी। इस संबंध में बिजली विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही के लिए पार्टी स्वयं जिम्मेवार होगी।

24 बोलीदाता को सिंचाई के पानी के उपभोग का व्यय प्रति वर्ष राज्य सरकार/आई.जी.एन.पी नहर विभाग द्वारा निर्धारित दर से भुगतान समय पर तथा प्राप्ति रसीद कार्यालय में जमा करानी होगी।

25 केन्द्र की तरफ से कोई आदान व संसाधन (यथा ट्रेक्टर, सिंचाई औजार, पाईप, फव्वारे, खाद, बीज आदि) उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। समस्त आदान व संसाधन बोलीदाता के ही होंगे।

26 ठेका अवधि की समाप्ति के पश्चात् बोलीदाता को विद्युत विभाग व नहर विभाग से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) देना होगा।

Vinod

27 बोली पक्ष में स्वीकृत होने पर बोलीदाता को कार्य का विवरण एवं शर्तो को वर्णित करते हुए "मुझे बोली की समस्त शर्ते मंजूर है तथा मैं उल्लेखित शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ" को कार्यालय को प्रस्तुत करने पर ही कार्य आदेश दिया जायेगा।

28 ठेकेदार द्वारा बिजली विभाग द्वारा फार्म के स्वीकृत लोड (90 किलोवाट) के अनुसार ही बिजली का उपभोग किया जावेगा। अधिक लोड उपयोग में लेने कारण बिजली बिल में अप्रत्याशित सरचार्ज के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार बिजली बिल को लोड बढवाना चाहता है तो उसे यह कार्य अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे से करना होगा। इस मामले में केन्द्र द्वारा केवल कागजात संबंधी सहयोग किया जावेगा।

29 सफल बोलीदाता/संवेदक को आवश्यक समस्त प्रपत्र भर कर देने होगें तथा बोली में भाग लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उपापन संस्था समिति से संबंधित कार्मिक/निकट रिश्तेदार/प्रथम रक्त संबंधी/पति–पत्नी नहीं होना चाहिये। सत्यनिष्ठा की पालाना आवश्यक है।

30 फसलों में किसी भी प्रकार के रोग लगने, सिंचाई की कमी, मजदूरों की अनुपलब्धता अथवा ठेकेदार की निजी जीवन की किसी भी परेशानी से केन्द्र को कोई सरोकार नहीं होगा एवं ऐसी विवशताओं के कारण पर किसी भी प्रकार की रियायत की कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।

31 ठेकेदार द्वारा निविदा हेतु दी गई जमीन में स्थित गिटीयां या टीले समतल करने के लिये स्वतंत्र होगा किन्तु उक्त भूमि से मिट्टी, पत्थर/कंकीट आदि निकालकर उसे बेचने या स्वयं के निजी उपयोग में लेने के लिये अनुमत नहीं होगा। केन्द्र की भूमि की मिट्टी आदि को ठेकेदार द्वारा बेचते पाये जाने पर संविदा/अनुबंध/करार को निरस्त कर संपूर्ण धरोहर राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

32 बोलीदाता की किसी भी शिकायत पर तभी कोई विचार होगा जब उसके द्वारा उस दिनांक तक का सभी बकाया जमा करवा दिया गया हो।

33 किसी भी समय संविदा/निविदा शर्तो की पालना नही करने/संविदा भंग करने पर केन्द्र द्वारा तत्समय खडी फसल को जब्त कर खुली नीलामी से बेचने का अधिकार होगा। समस्त क्षतिपूर्तियों को मय ब्याज वसूला जावेगा तथा सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त की जायेगी।

34 बोली से संबधित अपील के लिए धारा 38 के उप –धारा (1) या (4) के तहत बोलीदाता को अपील करने का अधिकार होगा।

35 प्राकृतिक आपदा जैसे पाला मारना, रोग–प्रकोप, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि तथा पानी की कम आवक, बिजली की कमी, मनुष्य जनित हानि/जीव–जन्तु जनित हानि के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा। किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही की जायेगी।

36 सामाजिक सद्भावना, लोक–स्वास्थ्य, लोक–व्यवस्था को बनाये रखना होगा।

37 निर्धारित अवधि में राशि जमा नही करवाने पर, अपूर्ण राशि जमा करवाने पर अपूर्ण जमा कराई राशि व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

38 कार्य संतोषप्रद रहने पर आपसी सहमति से उक्त कार्य की बढी हुई दर पर (चतुर्थ वर्ष की दर पर) प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत राशि की कम्मोन्नत (स्टेजेज) बढोतरी के साथ आगामी 4 वर्ष के लिए संविदा की समयावधि और बढाई जा सकती है किंतु बोलीदाता इस हेतु विश्वविद्यालय को बाध्य नहीं कर सकेगा।

39 कार्यस्थल पर कार्य नियोजित महिला सुरक्षा व जोखिम कारकों से जान–माल सुरक्षा का ध्यान रखना होगा यथा बिजली/मोटर के खुले तार, असुरक्षित गड्ढे, डिग्गी आदि।

40 पर्यावरणीय मानकों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

41 फसल बीमा के संदर्भ में फार्म की काई जिम्मेदारी नहीं होगी। फार्म द्वारा न तो किसी प्रकार का प्रीमियम दिया जायेगा व न ही फसल बीमा पंजिकरण/आवेदन किया जायेगा।

42 निविदा/संविदा शर्तों में किसी बात/तथ्य का उल्लेख न होने एवं अवशिष्ट विषयों में प्रभारी

Vinod

अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जावेगा जो कि बोलीदाता को मान्य होगा।

43 उपरोक्त शर्तो के अलावा RTPP के साथ GF & AR में वर्णित अन्य कोई शर्ते भी पूर्ण रूप से लागू होगी।

44 बिना कोई कारण बताये बोली को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी को होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा जो बोलीदाता को मानना होगा।

45 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता